

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

दांडिक प्रकरण कं.-462/11

संस्थापित दिनांक-30.09.2011

Filling no. 235103001842011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- अजयपाल सिंह पुत्र मेहताब सिंह उम्र 38 सालमृत 2- राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र मेहताब सिंह उम्र 41 साल 3- राजकुमार पुत्र मेहताब सिंह उम्र 34 साल 4- कप्तान सिंह पुत्र मुलायम सिंह उम्र 36 साल समस्त निवासीगण-ग्राम बरेडा तहसील चंदेरी अशोकनगरआरोपीगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 31.08.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 325/34, 324/34, 190 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 25.04.2011 को समय सुबह करीब 8:30 बजे स्थान एम.एस.सी.एल कॉलोनी बरेडा में आपने लोकस्थल में फरियादी बाबूलाल को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को सख्त एवं बोथरे हथियार से मारपीट कर उसकी अस्थी भंग कारित कर घोर उपहति कारित की तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार अस्त्र से फरियादी को चोट पहुँचाकर साधारण उपहति कारित की एवं फरियादी को लोकसेवक से संरक्षा हेतु आवेदन करने से विरत रहने के लिए जान से मारने की धमकी दी।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी बाबूसिंह ने थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 25.04.2011 को सुबह करीब 8:30 बजे की बात है फरियादी बाबूलाल रात को राजू पुत्र मेहताब द्वारा झगडा करने की रिपोर्ट करने चंदेरी आ रहा था, जैसे ही वह एन.एस.सी.एल कॉलोनी के पास पहुँचा तो रास्ते में अजयपाल उर्फ बडे, राजू, हल्के उर्फ राजकुमार पुत्रगण मेहताब सिंह तथा कप्तान सिंह पुत्र मुलायम सिंह मिले, चारो लाठी, लुहांगी लिये उसके सामने खडे हो गये और रास्ता रोक लिया और मां बहन की अश्लील गालियां देकर बोले तू हमारी रिपोर्ट

करने जा रहा है हम करवाते हैं रिपोर्ट, फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अजयपाल उर्फ बड़े यादव ने एक लुहांगी मारी जो उसके सिर में बांयी तरफ लगी, चोट होकर खून निकल आया, फिर राजू ने एक लाठी जो उसके बांये कंधे में लगी मुंदी चोट आई फिर हल्के उर्फ राजकुमार ने दो लाठी मारी जो उसके बांये पैर के दोनो टकना में लगी मुंदी चोट आई फिर एक लुहागी कप्तान सिंह यादव ने मारी जो उसकी पीठ में कमर के पास लगी मुंदी चोट आई इतने में गोविन्द सिंह पटेल व जण्डेल सिंह चक बड़ेरा के आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया तभी चारो भाग गये, जाते जाते मां बहन की अश्लील गालियां देकर बोले अगर थाने में रिपोर्ट करने गया तो आइन्दा जान से खत्म कर देगे। उक्त आरोपीगण ने घटना के एक दिन पूर्व रात में गाली दी थी। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में राजू उर्फ राजेन्द्र के कथन लेख कराए एवं प्र.डी.5 का दस्तावेज प्रस्तुत किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25.04.2011 को समय सुबह करीब 8:30 बजे स्थान एम.एस.सी.एल कॉलोनी बड़ेरा में आपने लोकस्थल में फरियादी बाबूलाल को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे क्षोभ कारित किया ?
2.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को सख्त एवं वोथरे हथियार से मारपीट कर उसकी अस्थि भंग कारित कर घोर उपहति कारित की ?
3.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने धारदार अस्त्र से फरियादी को चोट पहुँचाकर साधारण उपहति कारित की ?
4.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादी को लोकसेवक से संरक्षा हेतु आवेदन करने से विरत रहने के लिए जान से मारने की धमकी दी ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय प्रश्न क. 1 व 4:—

05— विचारणीय प्रश्न क. 1 व 4 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की

पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। बाबूसिंह अ०सा०१ ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है तथा आरोपी अजयपाल की मृत्यु हो चुकी है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 4-5 साल पूर्व की होकर सुबह करीब 8 बजे की है। घटना दिनांक को आरोपीगण एच.एस.एल. कॉलोनी के पास मिले और मां बहन की गालियां दी, किन्तु साक्षी ने उसके न्यायालयीन कथनों में यह नहीं बताया कि आरोपीगण द्वारा उसे कौन सी गालियां दी गई थी और क्या उक्त गालियां सुनकर फरियादी बाबूसिंह को क्षोभ कारित हुआ था।

06— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के अपराध को प्रमाणित करने के लिये यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गई गालियां अश्लीलता की परिधि में आती हैं, इसके अलावा उक्त गाली लोक स्थान पर बोली गई है और उक्त गालियां सुनकर क्षोभ कारित हुआ हो। इस स्थिति में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो की फरियादी बाबूलाल को अभियुक्तगण द्वारा लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित हुआ हो।

07— बाबूसिंह अ०सा०१ ने उसके कथनों में बताया कि आरोपीगण ने उससे कहा था कि रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर देंगे। उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त वर्तमान विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 के संबंध में अभिलेख पर अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। फरियादी बाबूसिंह अ०सा०१ ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा दी गई अभिकथित धमकी से वह लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहा हो, इसके विपरीत फरियादी द्वारा घटना दिनांक को ही अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराना दर्शित है जिससे यह दर्शित नहीं है कि फरियादी घटना दिनांक को लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहा हो।

08— फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवचेना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी बाबूसिंह अ०सा०१ को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहने हेतु जान से मारने की धमकी दी।

विचारणीय प्रश्न क्र. 2 व 3 :-

09— विचारणीय प्रश्न क्र. 2 व 3 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। बाबूसिंह अ०सा०१ ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना के एक दिन पहले रात में आरोपीगण ने उसके साथ गाली गलौच की थी एवं किवाड़ तोड़ दिये थे, जिसकी

रिपोर्ट करने साक्षी अगले दिन सुबह राजघाट पर रिपोर्ट करने से मना कर दिया तो वह चंदेरी आ रहा था और एच.सी.एल. कॉलोनी के पास आरोपीगण उसे मिले अजयपाल ने उसके सिर में लाठी मारी, एक लाठी हल्के ने मारी जो सिर में पीछे लगी, एक लाठी राजू ने मारी जो बाएं कंधे में लगी और एक लाठी कप्तान ने कमर व पैर में मारी जिससे वह मौके पर गिर गया था और मौके पर गोविन्द सिंह व जण्डेल आ गये थे जिन्होंने बीच बचाव किया था, जिसके संबंध में साक्षी द्वारा प्र.पी.1 की रिपोर्ट लेख कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने बताया कि थाने से उसे इलाज करने भेजा था और वहां से अशोकनगर से रैंफर किया था जहां उसका एक्सरे भी हुआ था। बाबूसिंह अ0सा01 का कहना है कि आरोपीगण ने उसकी लाठी, फर्सा व लोहांगी से मारपीट की थी।

10— बाबूसिंह अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि उसे सबसे पहले अजयपाल ने लाठी से सिर में पीछे की ओर मारा था और दूसरी लाठी राजू ने सिर में बांयी ओर मारी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में बाबू सिंह अ0सा01 ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसे सिर में जो चोट आई थी वह फर्से से आई थी, इसके अतिरिक्त अन्य किसी हथियार से चोट नहीं आई थी। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्टतः इंकार किया कि मोटरसाईकिल से गिर जाने से उसे चोटे आई थी।

11— शीलाबाई अ0सा02 ने उसके कथनो में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है व फरियादी बाबूसिंह को भी जानती है। आरोपीगण रात में उसके घर पर उसके पति से मारपीट करने आए थे जिससे उसका पति व बच्चे रात को भाग गये थे और जब पति बाबू सिंह राजघाट पर रिपोर्ट करने जा रहे थे तो राजघाट पर रिपोर्ट नहीं लिखी थी, जब उसके पति वापस आ रहे थे तब रास्ते में आरोपीगण अजय, राजू, कप्तान एवं हल्के ने एच.एस.सी.एल कॉलोनी के पास मारपीट की थी, उक्त बात का समर्थन रेखा अ0सा04 ने भी किया है। यद्यपि साक्षी शीलाबाई अ0सा02 का कहना है कि घटना के समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था किन्तु उसका बेटा कप्तान, बाबूसिंह को मौके से उठाकर लाया था तब उसके पति के सिर, बांये पैर के पंजे में, कंधे में एवं कमर में चोट आई थी, उसके बाद पति को लेकर थाना चंदेरी में आए थे और उपचार हेतु बाबू सिंह को अशोकनगर ले गये थे। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्टतः इंकार किया कि उसके पति को मोटरसाईकिल से गिर जाने से चोट आई थी। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसके पति बाबूसिंह को मोटरसाईकिल चलाना ही नहीं आती थी।

12— कप्तान सिंह अ0सा03 ने उसके कथनो में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है और फरियादी को भी जानता है फरियादी उसका पिता है। उक्त साक्षी का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब 5 साल पहले की होकर सुबह 8:30 बजे की है। उक्त साक्षी का कहना है कि घटना के समय वह चंदेरी में था और उसे घटना के बारे में गोविन्द सिंह पटेल ने फोन पर बताया था कि तुम्हारे

पिता रोड पर पड़े हैं उन्हें अजय, राजू, राजपाल, कप्तान सिंह मारकर गये हैं, उसके बाद वह ओमनी वाहन से एच.सी.एल कॉलोनी पहुँचा तो उसके पिता खून में लतपत पड़े थे और साक्षी का कहना है कि उसके पिता ने भी उसे बताया था कि चारो आरोपीगण द्वारा लाठी एवं लोहांगी से मारपीट की है। प्रतिपरीक्षण में कप्तान सिंह अ0सा03 ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटना उसके सामने घटित नहीं हुई है। गोविन्द सिंह अ0सा05 ने उसके कथनों में आरोपीगण एवं फरियादी को जानने वाली बात व्यक्त की, किन्तु घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया, केवल नक्शामौका प्र.पी.2 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। अभियोजन द्वारा साक्षी गोविन्द से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया। उक्त साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

13— डॉ.एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा08 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह दिनांक 31.04.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में एम.एस.ओ के पद पर पदस्थ पर होकर बाबू सिंह पुत्र भूरे सिंह यादव का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें आहत बाबूसिंह को एक कटा हुआ घाव जो माथे पर बांयी ओर स्थित था जिसका आकार 3.5 गुणा 1 सेमी हड्डी की गहराई तक, चोट क्र0 2 नीलगू निशान बांये टकने के जोड़ पर जिसका आकार 5.5 गुणा 2.5 सेमी था, चोट क्र0 3 जो बांये कंधे के जोड़ पर बाहर की ओर स्थित था जिसका आकार 4.5 गुणा 2.5 सेमी था। उक्त समस्त चोटों पर सुजन, दर्द व घाव एवं कपड़ों पर खून के थक्के जमे हुए थे, चोट क्र0 1 धारदार वस्तु से आई थी, शेष चोटे सख्त तथा वोथरी वस्तु से आई थी एवं चोट क्र0 1 व 2 के लिये एक्से की सलाह दी गई थी। हाथ पर आई चोटे साक्षी के मेडिकल परीक्षण के 24 घंटे के अन्दर की होना व्यक्त की एवं उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र.पी.13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि आहत को आई हुई चोटे मोटरसाईकिल से गिरने से आना संभव है तथा बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि आहत को माथे के अतिरिक्त सिर में कही चोट नहीं थी।

14— डॉ. एस.एस.छारी अ0सा06 ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 26.04.11 को जिला चिकित्सालय अशोकनगर में रेडियो लॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत बाबूसिंह को डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ चंदेरी द्वारा रैफर किये जाने पर आहत के सिर एवं बांए टकने का एक्सरे परीक्षण किया था। एक्सरे रिपोर्ट क्र0 397 के अनुसार आहत के बांये टकने में बाहर की ओर बांयी टीबिया हड्डी के निचले हिस्से में अस्थि भंग होना पाया था। उक्त साक्षी द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र.पी. 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि परिस्थितवश यदि कोई व्यक्ति तेज गति से चलती हुई मोटरसाईकिल से किसी सख्त धरातल पर बांये टकने के बल बलपूर्वक गिरता है तो प्र.पी.4 की चोट आ सकती है। इसके अलावा राघवेन्द्र अ0सा07 ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 25.04.11 को थाना चंदेरी में उप निरीक्षक के

पद पर पदस्थ था और उसके द्वारा अ0क्र0 [181/11](#) की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना में उसके द्वारा घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी.2 साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया जाना एवं जप्ती की कार्यवाही किया जाना व्यक्त किया।

15— उपरोक्त विवेचना के आधार पर फरियादी/आहत बाबूसिंह के कथन उपर वर्णित साक्ष्य के अनुरूप ही रहे हैं और उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी गंभीर विसंगति या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हैं और उक्त साक्षी की साक्ष्य सारतः अखण्डनीय रही है। बाबूसिंह अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह वर्तमान घटना के एक दिन पूर्व हुई घटना की रिपोर्ट करने के लिये जा रहा था तभी आरोपीगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी राजू व0सा01 ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिनांक 24.04.11 को अर्थात् वर्तमान घटना के एक दिन पूर्व आरोपी और फरियादी पक्ष के मध्य मारपीट हुई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसे बाबू सिंह ने हाथ में लाठी मारी और कप्तान ने पैर में लाठी मारी थी जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में प्र. पी.5 की रिपोर्ट लेख कराई थी, इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से भी इस बात की पुष्टि होती है कि वर्तमान घटना के एक दिन पूर्व भी आरोपीगण व फरियादी पक्ष के मध्य झगडा हुआ था। किन्तु वर्तमान प्रकरण पूर्व घटना क्रम के संबंध में न होकर उक्त घटना के एक दिन पश्चात का अर्थात् 25.04.2011 का है।

16— आहत बाबूसिंह अ0सा01 को आई हुई चोटों का समर्थन चिकित्सीय साक्षी डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा08 एवं डॉ. एस.एस.छारी अ0सा06 की साक्ष्य से भी होता है। **म0प्र0 शासन बनाम हमीम खान 1999 "2" जेएलजेपी-310** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि यदि आहत को आई हुई चोटों का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है तो ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है। बचाव पक्ष की ओर से न्याय दृष्टांत **बलराम वि0 म0प्र0 राज्य एम.पी.डब्ल्यू.एन 1986, स्टेट ऑफ म0प्र0 वि0 मुंशीलाल एण्ड अदर एम.पी. डब्ल्यू.एन 1998 एवं विष्णु वि0 म0प्र0 राज्य एम.पी.डब्ल्यू.एन 1989** प्रस्तुत किया, उक्त न्याय दृष्टांत के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से बचाव पक्ष को उक्त न्याय दृष्टांत से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

17— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य में विरोधाभास है जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। **रोकड सिंह बनाम म0प्र0 राज्य एमपीएलजे 1996** पेज 57 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि साक्षी द्वारा वृतांत का वर्णन भाषा व तरीके में फेरफार स्वाभाविक है उससे वृतांत की यथार्थता प्रभावित नहीं होती है, इसके विपरीत वृतांत में एक राय से साक्षी को सिखाने पढ़ाने का संकेत मिलता है। जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय का निर्माण कर उसके अग्रसरण में आहत की मारपीट कर उपहति किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में

अभियोजन साक्षी बाबूसिंह द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मिलकर उसके साथ मारपीट किया जाना व्यक्त किया है तथा सामान्य आशय का निर्माण घटना स्थल पर भी किया जा सकता है। फरियादी बाबूसिंह अ0सा01, शीलाबाई अ0सा02, कप्तान सिंह अ0सा03 के कथन प्रतिपरीक्षण में सारतः अखण्डनीय रहे हैं तथा बाबूसिंह अ0सा01 के कथनों की संमपुष्टि अविलम्ब सुसंगत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 से भी होती है तथा आहत को आई हुई चोटों का समर्थन डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा08 एवं डॉ. एस.एस. छारी अ0सा06 के कथनों से भी होता है। अभिलेख पर आहत बाबू सिंह एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य को खारिज किये जाने हेतु किसी भी प्रकार के बड़े विरोधाभास अथवा लोप नहीं है तथा फरियादी बाबू सिंह के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं।

18— जहाँ तक अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया उपरोक्त उपहति कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्तगण उसके द्वारा किये जा रहे कृत्य एवं उपयोग में लाये गये साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास रखने का कारण रखते थे कि उक्त कृत्य से आहत को उक्तानुसार चोटें आना संभावित है। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार या गंभीर प्रकोपन के परिणामस्वरूप आहत को उपरोक्त चोटें कारित किया जाना दर्शित नहीं है। अतः साक्षीगण के कथनों के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25.04.2011 को समय सुबह करीब 8:30 बजे स्थान एम.एस.सी.एल कॉलोनी बडेरा में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को सख्त एवं वोथरे हथियार से मारपीट कर उसकी अस्थि भंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार अस्त्र से फरियादी को चोट पहुँचाकर साधारण उपहति कारित की।

19. दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्च:—

20— उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण के तथ्य, आहत को आयी चोटें एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है—

// 8 // दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-462 / 11

अभियुक्त	भा0दा0वि0 की धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सश्रम कारावास
राजू उर्फ राजेन्द्र	325 / 34	6 माह	300 / —	15 दिन
	324 / 34	6 माह	200 / —	7 दिन
राजकुमार	325 / 34	6 माह	300 / —	15 दिन
	324 / 34	6 माह	200 / —	7 दिन
कप्तान सिंह	325 / 34	6 माह	300 / —	15 दिन
	324 / 34	6 माह	200 / —	7 दिन

अभियुक्तगण की उपरोक्त दोनों सजाए साथ-साथ भुगतायी जावे।

21— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

22— प्रकरण में जप्तशुदा 3 बांस की लाठी एवं लकड़ी का डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

23— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

//9//दाण्डिक प्रकरण कमांक-462/11